न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 35/2016

वादी		बनाम	प्रतिवादीगण
1	डूँगाराम पुत्र उदाराम जाति घाँची नि0 चाडवास, तह0 सोजत जिला पाली, राज0।	1	ओमप्रकाश पुत्र गणेशराम उर्फ गणपतलाल
		2	छैलाराम पुत्र गणेशराम उर्फ गणपतलाल
		3	धापुदेवी पत्नि गणेशराम उर्फ गणपतलाल जाति घाँची, निवासी चाडवास, तहसील सोजत, जिला पाली राजस्थान।
		4	कुनाराम पुत्र उदाराम जाति घाँची, निवासी चाड़वास, तहसील सोज, जिला पाली राजस्थान।
		5	गोरधन पुत्र उदाराम, जाति घाँची, निवासी चाड़वास, तहसील सोजत, जिला पाली राजस्थान।
		6	किशनाराम पुत्र उदाराम, जाति घाँची, निवासी चाड़वास, तहसील सोजत, जिला पाली राजस्थान।
		7	तहसीलदार, सोजत।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट 1955

उपस्थितिः—

1. **श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता वादी उपस्थित।**
2. **शरीफ मो0 घोसी अधिवक्ता प्रतिवादीगण उपस्थित।**

—: निर्णय :— **दिनांक — 12.10.2021**

अधिवक्ता वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम चाडवास तहसील सोजत जिला पाली मे नये खसरा 907 रकबा 1.9300 हैक्अर, किस्म बारामी अव्वल, एवं खसरा नम्बर 908 रकबा 1.7600 हैक्अर, किस्म बारामी अव्वल, कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.6900 हैक्टर की कृषि भूमि स्थित हैं। प्रथम सेटलमेन्ट में स्व. उदा पुत्र पन्ना कौम घाँची के नाम से पुराने खसरा 499 रकबा 9 बीघा 4 बीस्वा, खसरा नम्बर 508 रकबा 17 बीघा 11 बीस्वा, खसरा नम्बर 514 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 515 रकबा 25 बीघा 4 बीस्वा, खसरा नम्बर 491 रकबा 10 बीघा 1 बिस्वा कुला खसरा 5 कुल रकबा 74 बीघा 16 बीस्वा दर्ज हैं। स्व0 उदा पुत्र पन्ना के देहान्त के पश्चात उदाराम के छः पुत्र क्रमशः कुनाराम, गोरधन, डूँगाराम, किशनाराम, गणेश एवं अमराराम ने आपसी सहमती से उक्त कृषि भूमि का बंटवाड़ा कर दिया तथा बंटवाड़ा के अनुसार ही सभी भाईयों ने अपने—अपने हिस्से की कृषि भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया। जिसका इन्द्राज सम्वत् 2026 से 2029 की जमाबंदी में किया गया तथा म्युटेशन के अनुसार कुनाराम को पुराना खसरा नम्बर 514 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा, डूँगाराम को पुराना खसरा नम्बर 499 रकबा 09 बीघा 04 बिस्वा, एवं अन्य कृषि भूमि खसरा नम्बर 477 मीन रकबा 04 बीघा 01 बिस्वा कुल 13 बीघा 05 बीस्वा, अमराराम व गुणाराम को पुराना खसरा नम्बर 515 रकबा 25 बीघा 4 बीस्वा, किशनाराम को पुराना खसरा नम्बर 508 रकबा 17 बीघा 11 बीस्वा में से 14 बीघा दिया गया। गोरधन को पुराना खसरा नम्बर 491 रकब 10 बीघा 1 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 508 में से 3 बीघा 11 बिस्वा कुल 13 बीघा 14 बिस्वा भूमि दी गई। तत्पश्चात् सभी पक्षकारगण

उप खण्ड अधिकारी

अपने–अपने हिस्से के अनुसार काबिज हैं। इसी माफिक सम्वत् 2030 से 2033 की जमाबन्दी में भी ईन्दराज किया गया हैं। तत्पश्चात् द्वितीय सेटलमेन्ट मे पुराने खसरों के नये खसरे बनाये गये तथा नये खाते बनाये गये अमराराम, गणेश पुत्र उदाराम नया खसरा नम्बर 907, 908 रकबा 3.6900 हैक्टर पर काबिज हुए। कुनाराम पुत्र उदाराम नया खसरा नम्बर 885 रकबा 2.0100 हैक्अर पर काबिज हुए। गोरधन पुत्र उदाराम नया खसरा नम्बर 896 रकबा 1.6900 हैक्टर पर काबिज हुए। डूंगाराम पुत्र उदाराम नया खसरा नम्बर 854, 903 रकबा 2.1500 पर काबिज हुए तथा किशनाराम व गोरधन पुत्र उदाराम नये खसरे नम्बर 906, 911 रकबा 3.8300 हैक्टर पर काबिज हुए। परन्तु इसी दौरान सन 1993 में अमराराम पुत्र उदाराम का देहान्त हो गया। अमराराम पुत्र उदाराम का कोई पुत्र पुत्री पत्नि जीवित नहीं होने के कारण दिनांक 04.06.1993 को गणेश पुत्र उदाराम ने पटवारी हल्का से मिलीभगत करते हुए म्यूटेशन संख्या 234 दिनांक 04.06.1993 को स्वीकृत करते हुए अमराराम पुत्र उदाराम के एक मात्र उत्तराधिकारी सगा भाई बताते हुए म्यूटेशन को स्वीकृत कर दिया गया, जो गलत हैं। अमराराम पुत्र उदाराम का सगा भाई मात्र गणेशराम ही नही बल्कि वादी डूँगाराम, प्रतिवादी संख्या 4 कुनाराम, 5 गोरधन, 6 किशनाराम भी सगे भाई हैं। जितना अधिकार हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादीगण संख्या 1,2 व 3 के पिता/पति गणेशराम को था उतना अधिकार अन्य भाई को भी हैं। अमराराम की मृत्यु के समय से ही वादी व प्रतिवादीगण संख्या 4,5,6 में 1/10–1/10 हिस्से के खातेदारी हक एवं अधिकार निहित हो चुका है। तथा आज भी खसरा नम्बर 907 एवं 908 में 1/10–1/10 हिस्से पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 4,5,6 काबिज हैं तथा कास्त करते आ रहे है। दिनांक 06–01–2016 को वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, व 3 के बीच बोलचाल हो जाने पर प्रतिवादीगण संख्या 1,2 व 3 ने वादी को धमकी दी की अमराराम के मरने के बाद उसके सम्पूर्ण हिस्से पर हमारे पिता ने अपने नाम की खातेदारी करवा दी हैं तुम लोग कुछ नहीं करवा सकते। हम अब तुम्हे अमराराम से प्राप्त हिस्से की जमीन पर पॉव भी रखने नहीं देंगे। हम उक्त कृषि भूमि पर लोन ले लेंगे या किसी अन्य व्यक्ति को बेचान हस्तातरण कर देंगे। जिस पर वादी वर्तमान खाते की नकल व पुराना राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की गई। यदि प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 अपने तुच्छ उद्वेश्यों में सफल हो जाता हैं तो वादी के खातेदारी अधिकारों पर कुठारघात होगा व वादी का जरिया मात्र छीन जाऐगा। वादी के परिवार वालों को भूखें मरने की नौबत आ जायेंगी। वादी को अपूर्णिय क्षति होगी। जिसकी खामियाजा रुपये व पैसों में न आंकी जा सकता हैं। वादी का प्रथम दृष्टया मामला हैं व सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में हैं। वादी अपनी पुश्तौनी एवं हिन्दू उत्तराधिकारी के तहत प्राप्त खातेदारी अधिकारों की घोषणा की अधिकारी हें व वादस्थ कृषि भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 1,2 व 3 द्वारा किये जा रहे दखल अन्दाजी, हस्तानान्तरण, रदोबदल, निर्माण वगैरह करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रुकवाने का अधिकारी है। बिनायदावा दिनांक 06–01–2016 को वादी व प्रतिवादी संख्या 1,2 व 3 के बीच बोलचाल हो जाने पर प्रतिवादी संख्या 1,2 व 3 द्वारा नाजायज रुप से वादी को कब्जा काश्त से रोकने से व उक्त कृषि भूमि को बेचान हस्तानान्तरण करने एवं बेदखल करने की धमकियां देने से बमुकाम चाडवास, तहसील सोजत पैदा हुआ। प्रतिवादी संख्या 4,5 व 6 भी हितबद्व पक्षकार होने से तथा प्रतिवादी संख्या 7 तहसीलदार, सोजत भूमि धारक होने से उक्त वाद में आवश्यक पक्षकार के तौर पर उन्हे पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया हैं। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी ने वाद पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर माफिक दावा वाद डिक्री किया जाकर उक्त वादस्थ कृषि भूमि अर्थात् नये खसरा 907 रकबा 1.9300 हैक्टर किस्म बारामी अव्वल, एवं खसरा नम्बर 908 रकबा 1.7600 हैक्टर, किस्म बारामी अव्वल, कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.6900 हैक्टर की कृषि भूमि में वादी का 1/10 वा हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने तथा उक्त वादस्थ कृषि भूमि में वादी के कब्जा काश्त में प्रतिवादीगण को दखल अन्दाजी नही करने एवं रहन बेचान हस्तान्तरण आदि करने से जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोके जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाब दावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 3 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री शरीफ मो0 घोसी ने दिनांक 11.03.2019 को ईकबालिया जबाब दावा, वकालतनामा तथा राजीनामा पेश किया, सा0मि0 है।

उप खण्ड अधिकारी

राज्य सरकार द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 में आयोजित राजस्व कोर्ट केम्प चाडवास में पत्रावली आज पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 07 तहसीलदार, सोजत उपस्थित, जबाब पेश नहीं करना चाहने से जबाब दावा बंद किया गया। अधिवक्ता मय प्रतिवादीगण संख्या 03 से 06 की ओर से इकबालिया जवाब दावा तथा दिनांक 22.03.2021 को प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की ओर से भी इकबालिया जवाब दावा पेश किया जिसे आज सा0मि0 किया गया। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 11.03.2019 एवं 22.03.2021 को प्रस्तुत हुए, जिसे पृथक से तस्दीक किये जाकर सा0मि0 किया गया। ईकबालिया जबाब दावा दिनांक 11.03.2019 एवं 22.03.2021 को प्रतिवादी संख्या 01 से 06 की ओर से पेश कर अंकित किया कि पुराने खसरा नंबर 499, 508, 514, 515, 491 कुल खसरा 05, कुल रकबा 74 बीघा 16 बीस्वा भूमि उदाराम पुत्र पन्नाराम के नाम से प्रथम सेटलमेन्ट में दर्ज हैं। उक्त उदाराम के देहान्त के बाद उनके 06 पुत्र कुनाराम, गोरधन, डुँगाराम, किशनाराम, गणेश एवं अमराराम के बीच बंटवाड़ा हुआ तथा उसके आधार पर म्युटेशन संख्या 353 भरा गया तथा राजस्व रेकर्ड में वाद के अनुसार दर्ज हुए तथा नये खता बनाये गये, जिसमें अमराराम, गणेश पुत्र उदाराम नये खसरा नम्बर 907, 908 कुल रकबा 3.6900 हैक्टर पर काबिज हुए। कुनाराम खसरा नम्बर 885, गोरधन खसरा नम्बर 896, डुंगाराम खसरा नम्बर 854, 903 व किशनाराम, गोरधन खसरा नम्बर 906, 911 पर काबिज हुए। वादी ने यह भी सही अंकित किया हैं सन् 1992 में अमराराम लाऔदाद फौत हो गया हैं। वादी का कहना गलत हैं कि गणेश पुत्र उदा ने पटवारी से मिलीभगत कर अमराराम पुत्र उदाराम का फौतीदगी म्युटेशन अपने नाम भरवाया हो, बल्कि उक्त म्युटेशन सेव से भरा हें। अमराराम पुत्र उदाराम के गणेशराम ही नहीं बल्कि वादी डूंगाराम, प्रतिवादी संख्या 4 कुनाराम, 5 गोरधर, 6 किशनाराम भी सगे भाई हैं वादी का यह कहना सही हें कि वादी व प्रतिवादी संख्या 4,5,6 में 1/10–1/10 खातेदार अधिकार निहित हो सुके हैं। शेष सम्पुर्ण पेरा सही होने स्वीकार हैं। प्रतिवादी संख्या 5 का भी उक्त भूमि में 1/10 वां हिस्सा आता था, जिस बाबत खसरा नम्बर 907 में से दिनांक 17.05.2018 को प्रतिवादी संख्या 1,2,3 ने मुझ प्रतिवादी संख्या 5 की पत्नि हुलियादेवी के पक्ष में 0.4. एयर का बेचाननामा तहरीर तकमील किया हैं। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1,2,3 ने मुझ प्रतिवादी संख्या 6 की पत्नी के पक्ष में 0.60 हैक्टर की भूमि का बेचान कर दिया हैं, जो सही हैं। वादी को मौके पर आज भी 0.40 हैक्टर पर कब्जा काश्त हैं, जिसमें किसी प्रकार भी पक्षकार का कोई उज्र एतराज नहीं है। वादी ने अपनी 0.4. हैक्टर की भूमि पर तारबन्दी भी करवा दी है, जो सही है। वादी के साथ कभी भी कोई बोलचाल नहीं हुई है, न ही वादी के कब्जे काश्त को रोकने की कोशिश की गई है, न ही उन्हे धमकी दी गई हैं। वादी के वाद पत्र का पद संख्या 4, 5, 6 कानुनी अंकित कर न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में 0.4. हैक्टर की खातेदारी घोषण करते है व स्थाई निषेधाज्ञा पारित करते है तो उसमें हम प्रतिवादी को कोई किसी प्रकार का उज्र एतराज या आपति नहीं होना अर्थात् पुर्ण सहमति होना अंकित किया है।

प्रतिवादी संख्या 01 से 07 द्वारा पृथक–पृथक राजीनामा दिनांक 11.03.2019 एवं 22.03.2021 को पेश कर अंकित किया है कि उक्त वाद प्रकरण न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के बीच मौजिज लोगो की समझ समझाईश से लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है। वादी का मौके पर आज भी खसरा नंबर 907 में से 0.40 हैक्टर पर कब्जा काश्त है, जिसमें किसी भी पक्षकार का कोई उज्र एतराज नहीं है। वादी ने अपनी 0.40 हैक्टर की भूमि पर तारबन्दी भी करवा दी है, जो सही है। माननीय न्यायालय वादी के पक्ष में खसरा नंबर 907 में से 0.40 हैक्टर की खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जाती है तो प्रतिवादीगण को कोई किसी प्रकार का उज्र एतराज या आपति नही है, उभय पक्षकारान की पूर्ण सहमति है। उक्त राजीनामा दिनांक 11.03.2019 एवं 22.03.2021 को पृथक– से तस्दीक किया जाकर सा0मि0 किया गया।

बहस के दौरान माफिक राजीनामा वादी को मौजा चाडवास की कृषि भूमि ख0न0 907 रकबा 1.9300 है0 बा0अ0 की भूमि में 0.4000 है0 बा0अ0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादी ने माफिक राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किए जाने में कोई आपति नही होना व्यक्त किया है।

उप खण्ड अधिकारी
सोजत जिला-पाली) राज.

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत ईकबालिया जवाब दावा तथा राजीनामा दिनांक 11.03.2019 एवं 22.03.2021 तस्दीक दिनांक 12.10.2021 वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। मृत पुरूष उदा पुत्र पन्ना के कुल 06 विधिक वारिसान हुए। जिसमें से गुणेश , अमराराम पुत्र उदा के हक हिस्से में खसरा नम्बर 907, 908 कुल खसरा 2 कुल रकबा 3.6900 हैक्टर भूमि दर्ज हुई। अमरा पुत्र उदा के देहान्त हो जाने से उनकी सम्पूर्ण भूमि गुणेश पुत्र उदा के नाम दर्ज हुई। चूंकि उदा पुत्र पन्ना के अमराराम के अतिरिक्त अन्य 5 और वारिस और थे जिस कारण अमराराम पुत्र उदा की मृत्यु के पश्चात उनके हक हिस्से की भूमि उदा पुत्र पन्ना के अन्य विधिक वारिसान कुनाराम, गोरधन, डूगा, किशना व गणेश के नाम 3.6900 हैक्टर में से प्रत्येक के 0.369 हैक्टर भूमि बराबर दर्ज होनी चाहिये थी। जो कि नही की जाकर मात्र गणेश पुत्र उदा को एक मात्र भाई अंकित करते हुए नामान्तरकरण सख्या 234 दिनांक 04.06.1993 के जरिये दर्ज की गई। हस्तगत प्रकरण में वादी को खसरा नम्बर 907 रकबा 1.9300 हैक्टर भूमि में से 0.40 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु उपस्थित अधिवक्ता मय प्रति0 ने स्वीकारोक्ति/सहमति व्यक्त कर राजीनामा पेश किया गया है। चूकि गणेश राम द्वारा पुश्तैनी भूमि खसरा नम्बर 907 व 908 मे से उदा पुत्र पुन्ना के अन्य विधिक वारिसानो जरिये रजिस्ट्री उनका हक हिस्सा सुपुर्द कर दिया जाना अवगत कराया है एवं वादी द्वारा मात्र स्वयं के हिस्से की खातेदारी घोषणा चाही है लिहाजा माफिक राजीनामा वादी का वाद स्वीकार कर खसरा नम्बर 907 रकबा 1.9300 हैक्टर भूमि में से 0.40 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा स्थाई निषेधाज्ञा दखलअंदाजी करने से रोका जाकर प्रति0 को पावंद किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः माफिक राजीनामा अधिवक्ता मय वादी का उक्त वाद डिक्री किया जाता है। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रति0 सं0 01 से 06 इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा बाडवास तह0 सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 907 रकबा 1.9300 हैक्टर भूमि में से वादी को रकबा 0.40 हैक्टर किस्म बा.अ. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सोजत राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। राजीनामा को उक्त निर्णय का एक भाग माना जाता है। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। वाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

यह निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादी

1 डूँगाराम पुत्र उदाराम जाति घाँची नि0 चाडवास, तह0 सोजत जिला पाली, राज0।

बनाम

प्रतिवादीगण

1 ओमप्रकाश पुत्र गणेशराम उर्फ गणपतलाल

2 छैलाराम पुत्र गणेशराम उर्फ गणपतलाल

3 धापुदेवी पत्नि गणेशराम उर्फ गणपतलाल जाति घाँची, निवासी चाडवास, तहसील सोजत, जिला पाली राजस्थान।

4 कुनाराम पुत्र उदाराम जाति घाँची, निवासी चाड़वास, तहसील सोज, जिला पाली राजस्थान।

5 गोरधन पुत्र उदाराम, जाति घाँची, निवासी चाड़वास, तहसील सोजत, जिला पाली राजस्थान।

6 किशनाराम पुत्र उदाराम, जाति घाँची, निवासी चाड़वास, तहसील सोजत, जिला पाली राजस्थान।

7 तहसीलदार, सोजत।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट 1955

राजस्व वाद संख्या :– 35/2016

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित तथा अधिवक्ता प्रतिवादीगण शरीफ मो0 घोसी अधिवक्ता प्रतिवादीगण पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रति0 सं0 01 से 06 इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा चाडवास तह0 सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 907 रकबा 1.9300 हैक्टर भूमि में से वादी को रकबा 0.40 हैक्टर किस्म बा.अ. भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सोजत राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। राजीनामा को उक्त निर्णय का एक भाग माना जाता है। इस निर्णय, डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 12.10.2021 को जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

मददई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक					